आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या–151/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अलखदेव नारायण सिंह वगैरह ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

गिरजा राम वगैरह———————— द्वितीय पक्ष

17.10.2017

यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, नौडिहा बाजार के अप्राथमिकी संख्या–09/17 दिनांक 04.08.2017 के आधार पर धारा 144 दं0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा–कोरामी के खाता संख्या–11, प्लॉट सं0–14, रकबा–106 डी0, चौहद्दीः– उतर– टिमन चमार, दक्षिण– टिमन चमार, पूरब– महेश सिंह, पश्चिम– सरकारी रोड, खाता संख्या–11, प्लॉट सं0–31, रकबा–43 डी0, चौहद्दीः– उतर– टिमन चमार, दक्षिण– टिमन चमार, पूरब– महेश सिंह, पश्चिम– सरकारी रोड एवं खाता संख्या–11, प्लॉट सं0–35, रकबा–08 डी0, चौहद्दीः– उतर– टिमन चमार, दक्षिण– टिमन चमार, पूरब– महेश सिंह, पश्चिम– सरकारी रोड से संबंधित है। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के अनुरूप बहस करते हुए बताय कि वाद भूमि के उपर द्वितीय पक्ष का किसी भी भाग पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा द्वितीय पक्ष का दावा बेबुनियाद है। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि ग्राम —नामुदाग के भूतपूर्व जमीन्दार बिशेशर दयाल सिंह ने व्यवहार न्यायालय के प्रकिया के अधिन खाता सं0—11, प्लॉट सं0—14, 31, एवं 35 के अलावे अन्य भूमि को निलामी के द्वारा खरीद किया था और न्यायालय के द्वारा निलामी की खरिदगी भूमि पर बिशेशर दयाल सिंह को दखलदेहानी कराया गया, जिसके अनुसार बिशेशर दयाल सिंह दखल—कब्जे में हैं। बिशेशर दयाल सिंह ने पावर ऑफ एटॉर्नी का निष्पादन कर श्यामबिहारी सिंह को दखल—कब्जा का अधिकार सौंप दिया। श्यामबिहारी सिंह ने निंबंधित विकय पत्र के द्वारा दलभजन सिंह को वाद भूमि को विकि कर दिये, उसी के अनुसार वाद की भूमि पर दलभजन सिंह अपने जिवन काल तक दखल—कब्जे में रहे और उनके मर जाने पर उनके तीन पुत्र विशुनदेव सिंह, धर्मदेव सिंह एवं इन्द्रदेव सिंह का हक, दखल—कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित हुआ। प्रथम पक्ष धर्मेन्द्र सिंह के पुत्र हैं और अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर दाखिल काबीज हैं तथा प्रथम पक्ष विवादी भूमि का सरकारी मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0—01 के पिता जगदीश राम ने अपर समाहर्त्ता, पलामू के न्यायालय में विविध वाद सं0—54/1990—91 का मुकदमा दायर किये थे जिसमें जगदीश राम इत्यादि आवेदक एवं महेश सिंह प्रतिवादी थे जिसमें जगदीश राम इत्यादि के दावे को खरीज कर दिया	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	गया। पुनः जगदीश राम इत्यादि आयुक्त, पलामू प्रमंडल के न्यायालय में अपील किये जो खारिज हुआ था। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, डलटनगंज के न्यायालय में विविध वाद सं0—850/1991 धारा 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा चला था जिसमें आदेश द्वितीय पक्ष के विरूद्ध हुआ था। प्रथम पक्ष के केता सुरेश प्रसाद एवं द्वितीय पक्ष के कमांक सं0—01 के पिता जगदीश मोची के बीच धारा 145 दं0प्र0सं0 का मुकदमा श्री पी0 एन0 सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हुसैनाबाद के न्यायालय में चला था जिसमें सरजू प्रसाद के पक्ष में तथा जगदीस राम के विपक्ष मे आदेश पारित हुआ था। वर्तमान में पुनरिक्षण सर्वे में भी इस वाद के भूमि का छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम कि धारा 88 के अंतर्गत फाईनल खतियान तैयार किया गया है। हाल सर्वे में भी द्वितीय पक्ष के दावे को अवैध एवं निराधार पाकर खारीज कर दिया गया। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के सदस्यों का वाद भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा है। द्वितीय के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि यह वाद ग्राम—कोरामी के खाता सं0—11, प्लॉट सं0—14, रकबा—106 डी0, प्लॉट सं0—31, रकबा—43 डी0 एवं प्लॉट सं0—35, रकबा—08 डी0 पर थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मौजा—कोरामी के खाता सं0—11, प्लॉट सं0—14, रकबा—3.20 एकड़, प्लॉट सं0—31, रकबा—1.46 एकड़ एवं प्लॉट सं0—35, रकबा—0.13 एकड़ गत सर्वे खतियान में टिमल	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	चमार वल्द जंगी चमार कौम चमार साकिन देह गत सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत टिमल चमार खाता सं0—11 के अंतर्गत प्लॉटों पर शांतिपूर्वक दखल—कब्जा में रहे तथा जोत—कोड़ किये तथा स्वामित्व टिमल चमार का रहा और उनके मृत्यु के बाद खाता सं0—11 के अंतर्गत प्लॉटों पर उनके वंशज नन्हक राम, इलाईची राम, रघुनाथ राम एवं राजनाथी राम दखल—कब्जे में आये। राजनाथी राम एवं लाईची राम नावल्द मृत हो गये। टिमल चमार के खाता सं0—11 के अंतर्गत प्लॉटों पर मात्र टिमल चमार के पुत्रों नन्हक राम एवं रघुनाथ राम के वंशजों का शांतिपूर्वक दखल—कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ और उनके मृत्यु के बाद उनके वंशजों का जोत—कोड़ एवं दखल—कब्जा आज भी खाता सं0—11 के अंतर्गत प्लॉटों पर चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रकिया भूमि का प्लॉटवार अलग—अलग चौहद्दी नहीं दिया गया है इसलिए चौहद्दी के बिन्दु पर निषेधज्ञा नोटिस त्रुटिपूर्ण है एवं यह वाद प्रथम दृष्टया खारिज के योग्य है। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पतिया देवी वगैरह के विरूद्ध महेश सिंह ने पुनरिक्षण वाद दायर किया था जो अस्वीकृत किया गया है, अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा भी पुनरिक्षण वाद दायर किया गया था जो अस्वीकृत हुआ है। धर्मदेव सिंह के द्वारा पतिया देवी के विरूद्ध खाता सं—11 से संबंधित पुनरिक्षण वाद दायर किया गया था जो खारिज हुआ है। उभय पक्षों के विज्ञ धिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त ज्ञात	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधिंत

7/10/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

7/10/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।